प्राक्कथन

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन जिसमें स्मारकों तथा पुरावस्तुओं के परिरक्षण एवं संरक्षण पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं, को संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2012 से फरवरी 2013 के दौरान की गई थी। प्रतिवेदन, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, राष्ट्रीय संस्कृति निधि, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद, इलाहाबाद संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई तथा छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई से संबंधित फाईलों तथा दस्तावेजों से उद्भूत हुआ है।